न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 9/2022 दायरा दिनांक : 08.03.2022

उनवान

1— छोटूलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसीराम, जाति कहार

2— कान्हा उम्र 85 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसीराम, जाति कहार

3— चन्द्रभान उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार

4— पिंकू उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार

5— बबलू उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार

6— मनीष उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार

7— सांवली बाई उम्र 70 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल, जाति कहार,
निवासीगण भैरूपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामनारायण पुत्र श्री हीरालाल, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक अपीलांटे की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल जिससे वाद संख्या – 11/दावा/2021 वास्ते अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट. वादी द्वारा वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला कहार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

निर्णय　　　　　　दिनांक : 21.07.2023

1– वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह कि वादी के पिता के खाते की भूमि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सोनवा में खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर स्थित है, जिसमें वादी के पिता हीरा पुत्र दौला का हिस्सा 1/3 दर्ज है।

2– यह कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सोनवा की आराजी खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर में जमाबंदी संवत 2076–2079 वर्तमान में हीरा पुत्र छोट्या दर्ज है। जबकि वादी के पिता का सही नाम हीरा पुत्र दोला है जो कि वादी के पिता के राशनकार्ड व फोटो पहचान पत्र व वादी के पिता के खाते की जमाबंदी संवत 2014 से 2033 में भी वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र दोला दर्ज है।

3– यह कि वादी के पिता हीरा पुत्र दोला की दिनांक 05.07.2007 को मृत्यु हो चुकी है। आराजी में वर्तमान जमाबंदी में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या दर्ज होने से वादी के पिता का फोती नामान्तरकरण भी आज तक नहीं खुला है। जबकि वादी के पिता के राशनकार्ड व फोटो पहचान पत्र व जमाबंदी सम्वत 2014 से 2033 में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र दोला दर्ज है।

4– यह कि वादी ग्राम शिवपुरा की खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर में अपने पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर सही नाम हीरा पुत्र दोला दर्ज करवाना चाहता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5– यह कि वाद कारण दिनांक 12.11.2020 को रेस्पोडेंट नं. 2 को प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार मांगरोल के यहां वादी ने अपने पिता का नाम सही करने वास्ते पेश किया व श्रीमान् तहसीलदार साहब ने कहा कि न्यायालय में जाकर कार्यवाही करने की कहने पर उत्पन्न हुआ।

6– यह कि वादी ग्राम शिवपुरा की आराजी खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर में अपने पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला दर्ज करवाने का अधिकारी व नालिशी है।

7– यह कि आराजी ग्राम शिवपुरा, तहसील मांगरोल की होने से श्रीमान् को वादपत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

8– अतः वादपत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सोनवा की खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

9– अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के पिता के खाते की भूमि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सोनवा की खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर स्थित है। जिसमें वादी के पिता हीरा पुत्र दोला का हिस्सा 1/3 दर्ज है। उक्त आराजी जमाबंदी संवत 2076–2079 वर्तमान में हीरा पुत्र छोट्या के खाते दर्ज है। जबकि वादी के पिता का सही नाम हीरा पुत्र दोला है जो कि वादी के पिता के राशनकार्ड व मतदाता पहचान पत्र व वादी के पिता के खाते की जमाबंदी संवत 2014 से 2033 में भी वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र दोला दर्ज है। वादी के पिता हीरा पुत्र दोला की दिनांक 05.07.2007 को मृत्यु हो चुकी है। आराजी में वर्तमान जमाबंदी में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या दर्ज होने से वादी के पिता का फोती नामान्तरकरण भी आज तक नहीं खुला है। वादी ग्राम शिवपुरा की खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर में अपने पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर सही नाम हीरा पुत्र दोला दर्ज

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

करवाना चाहता है। अतः वादपत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सोनवा की खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

10— उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/88 दिनांक 19.02.2021 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड ग्राम शिवपुरा में जमाबंदी संवत 2076—2079 की खाता संख्या 4 में खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि में हीरा पुत्र छोट्या कहार हिस्सा 1/3 सीसवाली के शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है। सैटलमेंट से पूर्व सम्वत 2014—2033 की जमाबंदी खाता संख्या 5 खसरा नम्बर 42 रकबा 8.07 बीघा भूमि हीरा पुत्र दोला कहार हिस्सा 1/3 निवासी सीसवाली के खाते दर्ज है। खातेदार हीरा की वल्दीयत सैटलमेंट की जमाबंदी में हीरा वल्द दोल्या के स्थान पर हीरा वल्द छोट्या दर्ज हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में हीरा लाल पुत्र दोल्या दर्ज है। अतः उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सैटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर ग्राम शिवपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि खातेदार हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला कहार हिस्सा 1/3 से नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

11— पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 13.07.2021 को एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्हीं तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड आदि से भी वादी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के पिता का नाम हीरा पुत्र दोला कहार होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह स्वयं रामनारायण पुत्र हीरा जाति कहार निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल के बयान करवाये गये। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं सलंग्न दस्तावेजात व दिनांक 13.07.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी ग्राम शिवपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर की राजस्व जमाबंदी में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला कहार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

12— इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है।

13— अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है।

14— ग्राम शिवपुरा, तहसील मांगरोल में खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व कागजात में हीरा पुत्र श्री छोट्या के 1/3 के रूप में दर्ज थी तथा सम्वत 2068 से 2071 की जमाबंदी में यही भूमि कान्हा, प्रभूलाल, छोटूलाल पुत्र ग्यारस्या, बादाम पुत्री ग्यारस्या, धन्ना, मथरा पुत्र बिशना 2/3 व हीरालाल पुत्र छोट्या के 1/3 के नाम दर्ज थी, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श 2 है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ही प्रदर्श 2 जिस पर दिनांक 13.07.2021 को प्रदर्श डाला गया, खसरा नम्बर 42 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा 1/3 में हीरा वल्द दोला कहार व 2/3 में ग्यारस्या, धन्ना, मथुरा पिसरान बिशना कौम कहार के 2/3 के रूप में थी।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15– अधीनस्थ न्यायालय में रामनारायण पुत्र श्री हीरालाल, कहार, निवासी सीसवाली ने हाल खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि के बाबत यह कहकर 88, 89 आर.टी.एक्ट का वाद पेश किया कि रामनारायण पुत्र श्री हीरालाल वादी के पिता, हीरा लाल पुत्र दोला का 1/3 हिस्सा दर्ज है, किन्तु वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर हीरा पुत्र छोट्या कर दिया गया है। इसलिए इस नाम को सही किया जावे।

16– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो दस्तावेज पेश हुए हैं उसमें यह स्पष्ट है कि सम्वत 2014 से 2033 की जमाबंदी पेश हुई है, उसमें खसरा नम्बर 42 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा हीरा वल्द दोला कहार के 1/3 है तथा 2/3 में ग्यारस्या, धन्ना, मथुरा पिसरान बिशन कौम कहार का नाम दर्ज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इनमें से किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया और ना ही इनके वारिसों में से किसी को पक्षकार बनाया। प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 की पेश हुई है, उसमें भी हीरा पुत्र छोट्या 1/3 एवं कान्हा, प्रभू, छोट्या पुत्र ग्यारस्या, बादाम पुत्री ग्यारस्या, धन्ना, मथरा पुत्र बिशना 2/3 के रूप में दर्ज है। किन्तु इनमें किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय में मिलीभगत करके दिनांक 15.01.2021 को दावा पेश किया तथा दिनांक 13.07.2021 को दावा डिक्री करवा लिया।

17– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भूमियों का न तो मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है और ना ही अपीलांट को खातेदार उनको किसी को पक्षकार बनाकर सूचना दी गई है। दिनांक 13.07.2021 को निर्णय सुनाया तथा इस निर्णय की कोई डिक्री नहीं बनाई गई है। इस कारण दिनांक 13.07.2021 की अंतिम आर्डरशीट को ही डिक्री मानकर यह अपील पेश की जा रही है, इसके लिये आर्डर 20 नियम 6 (क) सी.पी.सी. के तहत आर्डर 41 रूल 1 सी.पी.सी. में निर्णय को ही डिक्री

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... कोटा

माना जायेगा, इसके लिए दिनांक 13.07.2021 के निर्णय में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि डिक्री बनाई गई। इसके लिये आर्डर 20 नियम 6 (क) सी.पी.सी. के अलग से भी प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है।

18– अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है तथा उनको पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण धारा 96 सी. पी. सी. के तहत उनको अपील पेश करने का अधिकार है, इसके लिये भी धारा 96 सी. पी. सी. का अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है कि उनके विवादित भूमि में हित है तथा अधीनस्थ न्यायालय में उनको पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि उनको सुना जाना आवश्यक था।

19– निर्णय दिनांक 13.07.2021 के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण इंतकाल नं. 82 दिनांक 13.07.2021 को ग्राम शिवपुरा का डिक्री व आदेश निर्णय दिनांक 13.07.2021 के आधार पर हीरा पुत्र छोट्या से हीरा पुत्र दोला कर दिया गया है, जिसकी प्रविष्टि भी जमाबंदी में कर दी गई तथा इंतकाल नम्बर 87 के बाद यह भूमि हीरा पुत्र दोला से छोटा बाई पुत्री हीरा व रामनारायण पुत्र हीरा के नाम दर्ज कर दी गई, जो सरासर खिलाफ कानून है।

20– अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, मांगरोल प्रकरण संख्या 11/2021 बउनवान रामनारायण बनाम राजस्थान सरकार दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि अपीलांटगण को उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार बनाकर सुनवायी के उपरान्त ही कोई निर्णय पारित करें।

21– अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

की जानकारी दिनांक 06.01.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

22— अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

23— हमने अभिभाषकगण उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

24— अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

25— अपील के साथ धारा 96 दीवानी प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र वास्ते अपीलांटगण को अपील पेश करने की अनुमति देने बाबत पेश किया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

26– अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 दीवानी प्रकिया संहिता मेंटेनेबल होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

27– अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि सहखातेदारों को भी अपील में पक्षकार बनाया जाना चाहिए थें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाकर त्रुटि की है।

28– हमने उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया।

29– तहसीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक :राजस्व / 2020 / 88 दिनांक 19.02.2021 की मौका रिपोर्ट पेश की गई है । जिसमें प्रकरण संख्या 26 / 2021 दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर. टी. एक्ट में नाम दुरूस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार है –

30– मुताबिक राजस्व रेकार्ड ग्राम शिवपुरा में जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 4 में खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि में हीरा पुत्र छोट्या, जाति कहार हिस्सा 1 / 3 सा0 सीसवाली के शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी की नकल संलग्न है जो परिशिष्ट (अ)

31– सैटलमेंट से पूर्व सम्वत 2014– 2033 की जमाबंदी खाता संख्या 5 खसरा नम्बर 42 रकबा 8.07 बीघा भूमि हीरा पुत्र दोल्या कोम कहार हिस्सा 1 / 3 निवासी सीसवाली के खाते दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल की नकल सलंग्न है, जो परिशिष्ट (ब)

32– खातेदार हीरा की वल्दियत सैटलमेंट की जमाबंदी में हीरा वल्द दोला के स्थान पर हीरा वल्द छोट्या दर्ज हो गया है सैटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी की नकल सलंग्न है, जो परिशिष्ट (स)

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

33– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में हीरा लाल पुत्र दोला दर्ज है जिसकी फोटो प्रतियां सलंग्न है, जो परिशिष्ट (द) य, र, ल है।

34– अतः उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सैटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम शिवपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि खातेदार हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोल्या, जाति कहार हिस्सा 1/3 से नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

35– अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये जिससे हीरा पुत्र दोला नाम दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सैटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर ग्राम शिवपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 56 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि खातेदार हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला कहार हिस्सा 1/3 से नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

36– अपीलार्थी ने अपनी अपील में उक्त विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा सहखातेदार होना बताया है। खातेदार हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला कहार हिस्सा 1/3 नाम दुरूस्त किये जाने से अपीलार्थी के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं और यदि अपीलार्थी को नाम परितर्वन बाबत कोई ऐतराज था तो उसने अपीलीय न्यायालय में इस बाबत कोई साक्ष्य/प्रमाण पत्र पेश नहीं किये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

37– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2021 यथावत रखा जाता है ।

38– निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/7/2023
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1–छोटूलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसीराम, जाति कहार
2–कान्हा उम्र 85 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसीराम, जाति कहार
3–चन्द्रभान उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार
4–पिंकू उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार
5–बबलू उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार
6–मनीष उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति कहार
7–सांवली बाई उम्र 70 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल, जाति कहार,
निवासीगण भैरूपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1– रामनारायण पुत्र श्री हीरालाल, जाति कहार, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 9/2022 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल
मु.द.नं0 11/दावा/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक – 13.07.2021

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 21 माह 06 सन् 2023

हाजरी **श्री बाबूलाल जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **श्री कमलदीप सिंह** अभिभाषक रेस्पोंडेंट नं. 1 की ओर से।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.07.2021 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 07 सन् 2023 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)